



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082025-265800
CG-DL-E-29082025-265800

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3875]
No. 3875]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

का.आ. 3980(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए, पद के प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सदस्य के रूप में नामित किया है: -

1. श्री राजेंद्र सिंह
2. श्री कृष्णा स्वरूप वत्सा
3. ले.ज. सय्यद अता हसनेन (सेवा निवृत्त)
4. डॉ. दिनेश कुमार अस्वाल
5. मिस रीटा मिस्सल

[फा. सं. 44-13/2024-एन.डी.एम.-II]

डॉ.राजेश गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2025

S.O. 3980(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority (NDMA) has nominated the following persons as Members, NDMA for a period of three years with effect from the date of assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier:-

1. Shri Rajendra Singh
2. Shri Krishna Swaroop Vatsa
3. Lt. Gen. Syed Ata Hasnain (Retd.)
4. Dr. Dinesh Kumar Aswal
5. Ms. Rita Missal

[F. No. 44-13/2024-DM-II]

Dr. RAJESH GUPTA, Jt. Secy.